

**श्री आनंद मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित
प्रश्न सं०-18/2/2829 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>1. क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के बक्सर प्रखंड अंतर्गत अहिरौली, अर्जुनपुर, मझरिया, उमरपुर एवं सिमरी प्रखंड के केशोपुर गांव में गंगा नदी के कटाव के कारण उपजाऊ कृषि भूमि और घनी आबादी वाले रिहाइशी इलाके अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं?</p> <p>2. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान कटाव की तीव्रता बढ़ने से स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल रहता है और अब तक किए गए अस्थायी बचाव कार्य (जैसे बालू की बोरियां डालना) नाकाफी सिद्ध हुए हैं-</p> <p>3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित गांवों में गंगा नदी के कटाव से स्थायी रूप से बचाने के लिए 'ठोस बोल्टर पिचिंग कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखंड अंतर्गत अर्जुनपुर, मझरिया तथा उमरपुर गांव एवं सिमरी प्रखंड अंतर्गत केशोपुर गांव बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कंट्री भाग में एवं बक्सर प्रखंड अंतर्गत अहिरौली गाँव बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के दोनों ओर अवस्थित है।</p> <p>केशोपुर एवं उमरपुर के समीप नदी तट से तटबंध से दूरी क्रमशः 90 मी० एवं 20 मी० है। इन स्थलों के सुरक्षार्थ बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जियो बैग/गैबियन, जो सुरक्षात्मक कार्य में बोल्टर के समरूप कार्य करता है, से कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य को दिनांक 15.05.2026 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।</p> <p>अहिरौली के समीप नदी तट की बसावट से दूरी लगभग 150 मी० एवं तटबंध से दूरी लगभग 1.00 कि०मी० है। साथ ही अर्जुनपुर के समीप नदी तट की तटबंध से दूरी लगभग 210 मी० एवं मझरिया के समीप लगभग 1.8 कि०मी० है। वर्तमान में उक्त तीनों गांव में कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है। बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-29/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0-18/2/2829 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-29/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-29/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ (मो0), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-29/2026

1590

पटना/दिनांक : 19/3/26

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A

16/3/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव